न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :–11/15 दायरा दिनांक 19.08.2015

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. शंकर पुत्र अखेसिंह जाति किराड निवासी देवरी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां। (मृतक) मुकायामान :–

- हरिचरण उर्फ हरि पुत्र शंकर जाति किराड निवासी देवरी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां।
- गयाजीत पुत्र शंकर जाति किराड निवासी देवरी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां।
- भरोसा पुत्र शंकर जाति किराड निवासी देवरी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां।
- कपूरी पुत्री शंकर जाति किराड निवासी देवरी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां।
- सरवदी पत्नी शंकर जाति किराड निवासी देवरी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां।

2. मथुरा पुत्र अखेसिंह जाति किराड निवासी देवरी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां।
3. कस्ता पुत्री अखेसिंह जाति किराड निवासी देवरी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां।
4. गया पुत्रीअखेसिंह जाति किराड निवासी देवरी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां। – **अपीलाण्ट**

बनाम

1. चिरोजी पुत्र झण्डे जाति किराड निवासी देवरी शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये सहायक वन संरक्षक, बारां जिला बारां राज.। –रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

1. अभिभाषक अपीलान्ट, श्री वीरेन्द्र अग्रवाल,
2. रेस्पोडेण्ट :–एक्स पार्टी

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार शाहबाद नामान्तरकरण संख्या 1506 ग्राम देवरी

निर्णय दिनांक 29/8/19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 17.12.2004 को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई। ग्राम देवरी तहसील शाहबाद में अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट क्रम 1 तथा भजुआ पुत्र प्रभू के सहखाते की आराजी ख.नं. 32 रकबा 1.15 बीघा, ख.नं. 34 रकबा 0.13 बीघा, ख.नं. 125 रकबा 3.16 बीघा, ख.नं. 128 3.01 बीघसा, ख.नं. 520 रकबा 1.16 बीघा, ख.नं. 522 रकबा 5.00 बीघा, ख.नं. 523 रकबा 6.12 बीघा, ख.नं. 1588 रकबा 1.12 बीघा, ख.नं. एवं ख.नं. 342 रकबा 0.07 बीघा कुल किता 112 कुल रकबा 27.06 बीघा स्थित रही है इसमें भजुआ पुत्र प्रभू के ला औलाद फोत होने पर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1506 सम्मनीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद द्वारा तस्दीक किया गया है जिससे अप्रसन्न होकर अपीलान्ट यह प्रस्तुत कर रहे। उक्त भूमि के सहखातेदार के परिवार सजरा निम्न प्रकार है :–

मनका (फोत) जिनके 3 पुत्र हुये

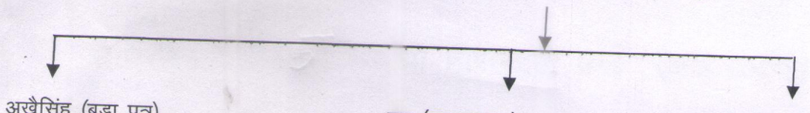

अखैसिंह (बडा पुत्र) प्रभू (मझला पुत्र) झण्डे (छोटा पुत्र) ये तीनों फोत हो चुके है।

अखैसिंह के पुत्र पुत्री अपीलान्ट्स् एवं एक पुत्री पांचों थी पांचों फोत हो चुकी है। प्रभू के एक पुत्र भजुआ था जो ला औलाद फोत हो चुका है। झण्डे के एक मात्र पुत्र रेस्पोडेण्ट क्रम 1 चिरोंजी है। सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण के जरिये मृतक भजुआ पुत्र प्रभू के उक्त आराजियात के हिस्से बाबत् कोई स्पींक्रिंग आर्डर पारित नहीं किया है प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक होने के पश्चात् पटवरी हल्का द्वारा नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 16 के अनुसार भजुआ के हिस्से की आराजियात रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज करदी गई जबकि हिन्दू उत्तराधिकारी कानून के तहत भजुआ का उक्त आराजियात में हिस्सा 1/3 था उसे अपीलान्ट एवं उनकी मृतक बहन पांचों एवं रेस्पोडेण्ट क्रम 1 के मध्य प्रत्येक को 1/3 का 1/6 प्राप्त होना चाहिए था क्योंकि मृतक भजुआ से रेस्पोडेण्ट क्रम 1 का जितना भाई का रिस्ता है उतना ही अपीलान्ट् एवं इनकी बहिन पांचों का रहा है। सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट को आधार मानकर मृतक भजुआ का रेस्पोडेण्ट क्रम 1 चिरोंजी को वारिस मान लिया गया जबकि भजुआ की मृत्यु के उपरान्त समस्त गंगागोदावरी खर्च आदि सभी सामाजिक धार्मिक रस्म अपीलान्ट क्रम 2 ने किया है जो निरस्त होने योग्य है। अखैसिह के पुत्र पुत्री अपीलान्ट एवं एक पुत्री पांचो थी फोत हो चुकी है। प्रभू के एक पुत्र भजुआ था जो लाऔलाद फोत हो चुका है। झण्डे के एक मात्र पुत्र रेस्पोडेण्ट क्रम 1 चिरोंजी है। सम्मनीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण के जरीये मृतक भजुआ पुत्र प्रभू के उक्त आराजियात के हिस्से बाबत् कोई स्पीक्रिंग आर्डर पारित नहीं किया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक होने के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 16 के अनुसार भजुआ के हिस्से की आराजियात रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज करदी गई जबकि हिन्दू उत्तराधिकार कानून के तहत भजुआ का उक्त आराजियात में हिस्सा 1/3 था उसे अपीलान्ट्स एवं उनकी मृतक बहिन पांचों एवं रेस्पोडेण्ट क्रम 1 का जितना भाई का रिस्ता है उतना ही अपीलान्ट एवं इनकी मृतक बहिन पांचों का रहा है। सम्मनीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट कसे आधार मानकर मृतक भजुआ का रेस्पोडेण्ट क्रम 1 चिरोंजी को वारिस मान लिया गया जबकि भजुआ की मृत्यु के उपरान्त समस्त क्रियाक्रम गंगागोदावरी खर्च आदि सभी सामाजिक धार्मिक रस्म अपीलान्ट क्रम 2 ने की है। इस तरह प्रश्नगत नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार कानून के प्रावधानों के विपरीत तस्दीक किया गया है। जो निरस्त होने योग्य है।

बहस में एकतरफा सुनी गई, अपीलान्ट की ओर से कथन किया कि नामान्तरकरण नम्बर 1506 में भजुआ लाऔलाद फौत हुआ उसका हिस्सा 1/3 आधा 1/6 शंकर बगैरहा को मिलना चाहिए था। अपीलान्ट नामान्तरकरण में स्पीक्रिंग आर्डर नहीं है। केवल सजरा व रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तरकरण निर्णित होना चाहिए।

बहस सुनने के उपरान्त यह पाया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1506 दिनांक 17.12.2004 मृतक भजुआ पुत्र प्रभू के हिस्से तक आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर तहसीलदार शाहबाद को प्रति प्रेषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मृतक भजुआ पुत्र प्रभू के वारिसान की विस्तृत जांच करें, अपीलान्ट व अन्य सम्बन्धित पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर सुनवाई उपरान्त पुनः विधिवत निर्णय पारित कर नामान्तरकरण निर्णिय पारित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(हीरालाल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.11 15:12:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: